

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) श्री

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान श्रीमान सिंह बनाम राजेश्वर साका

दावा बाबत नाम डुरली U/S 88 RTA


मुकदमा नम्बर :- 107 / 2022

निर्णय दिनांक :- 06.06.2022

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा जारी स्वीकार किया जाकर शही गाम रिहायशा की जमाबंदी का नं. 269 का नं. 640/75 पर दर्ज श्रीमान सिंह एवं श्रीमती के बजाय श्रीमान सिंह पुत्र श्रीमान सिंह किसे जाने की घोषणा की जाती है। तद्विषयक यह शर्तानुसार राजेश्वर अधिकारी से आम - दरमद को। वादी के पूर्व में कोई आपराधिक प्रमाण दर्ज नहीं है। पूर्व नाम श्रीमान सिंह।

खर्चा पक्षकाराने अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

चूरु

वादी	प्रतिवादी																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>रूपया</th> <th>रूपया</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>अर्जी के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प</td> <td>प्लीडर की फीस</td> </tr> <tr> <td>4.रूपये पर प्लीडर की फीस</td> <td>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</td> </tr> <tr> <td>5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</td> <td>आदेशिका की तामील</td> </tr> <tr> <td>6. कमिश्नर की फीस</td> <td>कमिश्नर की फीस</td> </tr> <tr> <td>7. आदेशिका की तामिल</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td>जोड़</td> </tr> </tbody> </table>	रूपया	रूपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील	6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	7. आदेशिका की तामिल		जोड़	जोड़	
रूपया	रूपया																		
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प																		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प																		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस																		
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय																		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील																		
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस																		
7. आदेशिका की तामिल																			
जोड़	जोड़																		



ना.नं. 1110
06-06-2022